इन्टरकनेक्शन विनियम, 2017 के अनुसार, डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के माध्यम से केबल सेवाओं के प्रावधान के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच मॉडल इन्टरकनेक्शन करार।

इस तकनीकी एवं व्यावसायिक इन्टरकनेक्शन करार के साथ–साथ इसके शेड्यूल और एनेक्सर पर आज दिनांक ________________ के दिन _____________ 201____ को निम्नलिखित पक्षों ने हस्ताक्षर किएः

मेसर्स सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड, (पूर्व में सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड के नाम से जानी गई), जिसका कि कार्यालय UG Floor, FC-19 & 20, Sector - 16A, Film City, Noida, UP-201301, अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा, इसके बाद यहाँ ''एमएसओ'' कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में **एक भाग** के उत्तराधिकारी, अधिकार ग्राही, कानूनी उत्तराधिकारी और कार्यपालक शामिल माने जाएंगे बशर्ते यह करार के संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों।

और

___________________________________, कार्यालयः ___________________________________, अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा, इसके बाद **''एलसीओ''** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में **अन्य भाग** के उत्तराधिकारी, अधिकार ग्राही, कानूनी उत्तराधिकारी और कार्यपालक शामिल माने जाएंगे बशर्ते यह करार के सन्दर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों।

एलसीओ की स्थितिः व्यक्तिगत / प्रतिष्ठान / कम्पनी / व्यक्तियों के संघ / एकल व्यक्तियों का निकाय

इसके बाद यहाँ **एमएसओ** और **एलसीओ** को अलग–अलग 'पार्टी' कहा जाएगा और एक साथ **''पार्टियाँ''** कहा जाएगा।

जब कि

क. एमएसओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4ए के तहत पूरे भारत के केन्द्र सरकार अधिसूचित क्षेत्रों में डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम्स के माध्यम से केबल टीवी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स नियम, 1994 के तहत 6 जुलाई, 2015 दिनांकित रजिस्ट्रेशन नं. 9 / 50 / 2012–बीपी & एल (5 जुलाई, 2025 तक वैध) प्रदान किया गया है।

ख. एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स विनियम, 1994 के तहत ____________________ [क्षेत्र का उल्लेख करें] में केबल टीवी सेवाएँ प्रदान करने के लिए ____________________ [मुख्य डाक घर का नाम] मुख्य डाक घर में ____________________ दिनांकित पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. .... प्रदान किया गया है।

ग. एलसीओ ने टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए ____________________ दिनांकित पत्र सं. _____________ के माध्यम से एमएसओ से निवेदन किया है और एमएसओ ने _______________ दिनांकित पत्र सं. ____________________ के माध्यम से इस एलसीओ को टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध करवाने की सहमति दी है।

घ. **क्षेत्रः** इस करार के सन्दर्भ में क्षेत्र का अर्थ है ____________________

SITI NETWORKS An Essel Group Company

ङ. पार्टियों ने करार करने के लिए आपसी सहमति जताई है – यह दोनों के बीच प्रिन्सिपल से प्रिन्सिपल और नॉन–एक्सक्लुसिव आधार पर होगा – जिसके तहत इस क्षेत्र में टीवी चैनलों के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए आवश्यक भूमिकाओं, ज़िम्मेदारियों, अधिकारों, दायित्वों का निर्धारण, तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यवस्था की जाएगी।

च. पार्टियाँ आपस में इससे भी सहमत हैं कि पार्टियों के बीच प्रत्येक और हर एक ट्रान्ज़ैक्शन लिखित या सत्यापित होने योग्य अन्य किसी माध्यम से किए जाएंगे। इनमें प्रॉपर्टियों/सम्पदाओं से जुड़े ट्रान्ज़ैक्शन भी शामिल होंगे।

अब, इसलिए, फोरगोइंग और यहाँ उल्लिखित आपसी कोवेनेन्ट का ध्यान रखते हुए पार्टियाँ निम्नवत् सहमत हैं:–

1. परिभाषाएँ

इस करार के शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जोकि इस करार के शेड्यूल में दिए गए गए हैं। इस करार में उपयोग किए गए, पर परिभाषित नहीं किए गए और कथित अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों और विनियमों या केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियम), अधिनियम, 1995 (1995 के 7) में परिभाषित किए गए, अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जोकि कथित अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उन्हें दिए गए हैं, जैसी भी स्थिति हो सकती है।

2. करार के नियम

2.1 यह करार दिनांक ________________ [दिदि/मम/वववव] से लागू होगा और **05/07/2025** तक या एलसीओ का रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तिथि तक, जैसी भी स्थिति हो सकती है, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इसे दोनों में से कोई पार्टी इस करार के नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं कर देती है।

2.2 इस करार की अवधि, पार्टियों की आपसी सहमति से निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार और लिखित प्रक्रिया से बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि बढ़ाई गई अवधि एमएसओ या एलसीओ के रजिस्ट्रेशन की वैधता की अन्तिम तिथि, जो पहले हो, के बाद न हो।

3. करार को समाप्त करना

3.1 दोनों में से प्रत्येक पार्टी को दूसरी को 21 दिनों की पूर्व सूचना देकर करार समाप्त करने का अधिकार है यदि:–

(i) अन्य पार्टी करार का तथ्यात्म उल्लंघन करती है, जिसे सही करने के लिए लिखित सूचना देने के बावजूद 15 दिनों के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है; या

(ii) अन्य पार्टी पर दिवालिया, इन्सॉल्वेन्सी का मामला हो या उसकी संपदाओं के लिए रिसीवर की नियुक्ति की गई हो; या

(iii) अन्य पार्टी खुद पायरेसी करती है या इसकी अनुमति देती है या किसी अन्य को इसके लिए उकसाती है या केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स नियम, 1994, समय–समय पर संशोधित, के अनुसार निर्धारित प्रोग्राम एवं विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करते हुए चैनल पर उपलब्ध प्रोग्राम सेवा प्रदान करती है।

3.2 एमएसओ के टेर्रिटरी में टीवी चैनलों के सिग्नल के पुनः वितरण कारोबार बन्द कर देने पर एलसीओ को यह करार समाप्त कर देने का अधिकार है।

3.3 एलसीओ के टेर्रिटरी में अपना केबल टीवी कारोबार बन्द कर देने पर एमएसओ को यह करार समाप्त कर देने का अधिकार है।

3.4 यदि एमएसओ टेर्रिटरी में टीवी चैनलों के सिग्नल के पुनः वितरण का कारोबार बन्द कर देने का निर्णय लेता है तो कारोबार बन्द करने से कम से कम 90 दिन पहले एलसीओ को इसकी लिखित सूचना देगा जिसमें इस निर्णय के कारणों को स्पष्ट करना होगा।

3.5 यदि एलसीओ टेर्रिटरी में ग्राहकों को टीवी चैनलों के सिग्नल देने का कारोबार बन्द कर देने का निर्णय लेता है तो कारोबार बन्द करने से कम से कम 90 दिन पहले इस निर्णय के कारणों को स्पष्ट करते हुए एमएसओ को इसकी लिखित सूचना देगा।

4. समाप्त कर देने (टर्मिनेशन) और समाप्त हो जाने (एक्सपायरी) का प्रभाव

4.1 करार समाप्त कर देने या करार की अवधि समाप्त हो जाने पर, जैसी भी स्थिति हो, दोनों में से प्रत्येक पार्टी के निवेदन पर, दूसरी पार्टी सभी बकाया का भुगतान और टर्मिनेशन या एक्सपायरी की तिथि तक देय राशि का भुगतान कर देगी।

4.2 इस करार के समाप्त कर देने या इसकी अवधि समाप्त हो जाने, जैसी भी स्थिति हो, के 15 दिनों के अन्दर एलसीओ यहाँ उल्लिखित प्रावधानों के नियमानुसार एमएसओ को एमएसओ की सभी संपत्ति और संपदाएँ वापस कर देगा, जोकि एलसीओ के अधिकार में थीं।

यदि एलसीओ के पास एमएसओ की किसी संपत्ति और संपदाओं का नुकसान या हानि होती है, तो इस बारे में एमएसओ की सूचना मिलने के 30 दिनों के अन्दर, एलसीओ सभी नुकसान या हानि की भरपाई करेगा और एलसीओ के संपत्तियों/संपदाओं की मरम्मत न करने पर ऐसी संपत्तियों/संपदाओं के ह्रस्त (डेप्रिसियेशन के बाद) मूल्य का एमएसओ को भुगतान करेगा।

4.3 एमएसओ, इस करार की अवधि समाप्त करने या समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर, जैसी भी स्थिति हो, यहाँ उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, एमएसओ के पास मौजूद एलसीओ की सभी संपत्तियाँ और संपदाएँ एलसीओ को वापस कर देगा।

एमएसओ की देयता में होगा, एलसीओ की ऐसी संपत्तियों और संपदाओं को नुकसान या हानि होने पर इस बारे में एलसीओ की सूचना मिलने के 30 दिनों के अन्दर एमएसओ सभी नुकसान या हानि की भरपाई करेगा और एमएसओ के संपत्तियों/संपदाओं की मरम्मत न करने पर ऐसी संपत्तियों/संपदाओं के ह्रस्त (डेप्रिशियेशन के बाद) मूल्य का एलसीओ को भुगतान करेगा।

4.4 यदि एलसीओ या एमएसओ, जैसी भी स्थिति हो, उपरोक्त अवधि के अन्दर ऐसी संपत्तियों और संपदाओं को वापस करने या इनके नुकसान या हानि की भरपाई करने में असफल रहता है तो चूक करने वाली पार्टी कथित संपत्तियों/संपदाओं के ह्रस्त मूल्य का भुगतान करेगी। इस पर भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर के ऊपर और 2% ज़्यादा के हिसाब से ब्याज भी देगी।

व्याख्याः– क्लॉज़ 4.2 और 4.3 एमएसओ या एलसीओ, जैसी भी स्थिति हो, के हार्डवेयर या कोई अन्य उपकरण, जोकि ग्राहक के परिसर में स्थापित होंगे, उन पर नहीं लागू होंगे।

5. सेवाओं के प्रावधान

5.1 एमएसओ, एलसीओ को नॉन–एक्सक्लुसिव आधार पर, टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध करवाएगा, ताकि टेर्रिटरी के ग्राहकों तक इनका पुनः प्रसारण किया जा सके, जो कि इस करार के नियमानुसार और मौजूदा मानदंडों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, आदेशों और संबंधित प्राधिकारियों के आदेश के अनुसार होगा।

5.2 एलसीओ, एमएसओ से प्राप्त टीवी चैनलों के सिग्नल नॉन–एक्सक्लुसिव आधार पर परिवहन करते हुए टेर्रिटरी के ग्राहकों तक वितरण सुनिश्चित करेगा।

5.3 पार्टियों के लिए केवल एनक्रिप्टेड रूप में एक डिजिटल ऐड्रेसेबल सिस्टम से किसी चैनल, कन्टेन्ट या प्रोग्राम का प्रसारण, पुनः प्रसारण या अन्यथा माध्यम से परिवहन करना अनिवार्य होगा, जोकि बिल्कुल प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार करना होगा।

5.4 सेवाओं का प्रावधान करने में इस करार की पार्टियों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का उल्लेख इस करार के **क्लॉज़ 10** में किया गया है।

5.5 इस करार के **क्लॉज़ 10** में उल्लिखित भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के मद्देनज़र एलसीओ और एमसीओ के बीच आमदनी में हिस्सेदारी का प्रावधान इस करार के **क्लॉज़ 12** में दिया गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस करार के तहत केबल टीवी सेवाएँ देने के नेटवर्क पर एमएसओ का अधिकार होगा और यह नेटवर्क के किसी हिस्से या पूरे नेटवर्क का विस्तार/अपग्रेड/परिवर्तन/बदलाव/दोबारा डिज़ाइन कर सकता है, जोकि इस शर्त पर करना होगा कि इससे ग्राहकों की सेवाओं में बाधा या गुणवत्ता में गिरावट नहीं होगी।

6.2 एमएसओ, टीवी चैनलों के सिग्नलों को पुनः प्रसारण करने के लिए प्रसारकों के साथ इन्टरकनेक्शन करार पर हस्ताक्षर करेगा। यह प्रसारण, मौजूदा नियमों, नीतियों और संबद्ध प्राधिकरणों के प्रभावी कानूनों एवं नियमों, विनियमों, निर्देशों और आदेशों के अनुसार करना होगा।

6.3 प्रत्येक चैनल का डिस्ट्रिब्यूटर खुदरा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार एमएसओ को होगा। जैसा कि ग्राहकों द्वारा प्रभावी कानूनों एवं नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुसार इसका भुगतान करना होगा।

6.4 एमएसओ को अपनी व्यवसाय योजना और मौजूदा मानदंडों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुसार नेटवर्क पर उपलब्ध कराए चैनलों/सेवाओं का पैकेज बनाने का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) निर्धारित करने का अधिकार होगा, जोकि लागू होने वाले टैरिफ आदेशों और समय–समय पर अधिसूचित प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार करना होगा।

6.6 एमएसओ को, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित, लागू होने वाले टैरिफ आदेशों और विनियमों के अनुसार चैनलों के बूके, यदि एमएसओ प्रस्तावित करता है, के दरों को अन्तिम रूप देने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को लागू होने वाले आदेशों और विनियमों के अनुसार, इस करार के तहत ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से एलसीओ से सभी आवश्यक जानकारियां लेने का अधिकार होगा।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस करार के तहत केबल टीवी सेवाएँ देने के नेटवर्क पर एलसीओ का स्वामित्व अधिकार होगा और यह नेटवर्क के किसी हिस्से या पूरे नेटवर्क का विस्तार/अपग्रेड/परिवर्तन/बदलाव/दोबारा डिज़ाइन कर सकता है, जोकि इस शर्त पर करना होगा कि इससे नेटवर्क के ग्राहकों की सेवाओं में बाधा या गुणवत्ता में गिरावट नहीं होगी।

7.2 एलसीओ को, प्रभावी आदेशों और विनियमों के अनुसार इस करार के तहत ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से एमएसओ से सभी आवश्यक जानकारियाँ लेने का अधिकार होगा।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ, ग्राहकों को सक्षम और त्रुटि–रहित सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए हेड–एण्ड, कन्डिशनल ऐक्सेस सिस्टम (CAS) और सब्स्क्राइबर मैनेज़मेन्ट सिस्टम (SMS) स्थापित और चालू करेगा, जिसके माध्यम से हर ग्राहक की पसन्द के चैनल, बिल चक्र या रिफन्ड की जानकारी दर्ज और प्रदान करने का काम पूरा हो।

8.2 एमएसओ, चैनलों, चैनलों के बुके, और ग्राहकों को आपूर्त सेवाओं के साथ–साथ कीमतों की सभी अनिवार्य और पर्याप्त जानकारियों के विवरणों को एलसीओ को देगा।

8.3 एमएसओ, सेवाओं के प्रावधान, भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारियाँ, आमदनी के हिसाब, सेवा की गुणवत्ता आदि से जुड़ी शिकायतें दूर करने के लिए एलसीओ को वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करेगी।

8.4 एमएसओ, पहले से ऐक्टिवेट किए एसटीबी नहीं देंगे और एसएमएस में ग्राहक आवेदन पत्र (CAF) के विवरण दर्ज कर दिए जाने के बाद ही एसटीबी एक्टिवेट करेगा।

8.5 एमएसओ, बिल चक्र समाप्त होने के 3 दिनों के अन्दर, नियत शुल्क और प्रत्येक माह देय राशि या उन ग्राहकों के लिए लागू होने वाले बिल चक्र के अनुसार, ग्राहकों के बिलों को नियमित रूप से तैयार करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहकों के लिए बिलों को एमएसओ के सिस्टम से तैयार होंगे हालाँकि बिलों को वितरित करने का काम एलसीओ का होगा।

8.6 एमएसओ, अपने नियन्त्रण में मौजूद एसएमएस का ज़रूरी हिस्सा एलसीओ को उपयोग करने देगा ताकि इस करार के तहत पार्टियों द्वारा ज़िम्मेदारियाँ पूरी की जा सके, और लागू होने वाले आदेशों और विनियमों का अनुपालन हो सके।

8.7 एमएसओ, पायरेसी या अन्य गतिविधियों में नहीं लिप्त होगा, जिसके प्रभाव या परिणामस्वरूप, एलसीओ या ट्रान्समिशन से जुड़े लोगों के ट्रेड मार्क और कॉपी राइट के उल्लंघन और हनन होगा।

8.8 एमएसओ, किसी समय अवधि में, लागू होने वाले सभी विधानों या कानूनों या अन्य नियमों, संहिताओं, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशा निर्देशों, आदेशों, विवेकाधिकारों आदि जो भी उस समय अवधि में प्रकाशित या सर्कुलेशन में होंगे, सब का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ, ऐसा कोई काम या गतिविधि नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप, इस करार के तहत, केबल टीवी सिग्नल संबंधी एलसीओ के किसी अधिकार या हित या एलसीओ की किसी भी प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार का हनन होगा या वह अन्यथा प्रभावित होगा।

8.10 ग्राहक के परिसरों पर लगे एसटीबी तक संपूर्ण सिग्नल के एन्क्रिप्शन की ज़िम्मेदारी एमएसओ की होगी।

8.11 एमएसओ, तीन सप्ताहों के पूर्व सूचना दिए बिना, एलसीओ के टीवी चैनलों के सिग्नलों को नहीं काटेगा। इस सूचना में इन्टरकनेक्शन नियमन के अनुसार डिसकनेक्शन के कारणों को भी स्पष्ट करना होगा।

8.12 एमएसओ, ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे, प्रीपेड सिस्टम की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा और ग्राहक के भुगतान कर देने पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्राहक को यह सूचित करने की व्यवस्था करेगा।

8.13 एमएसओ, एलसीओ के नेटवर्क में एक्टिव कुल एसटीबी का कम से कम 2%, 30 एसटीबी के अपर कैप के साथ, मेंटेनेंस स्पेयर के रूप में, एलसीओ को प्रदान करेगा, ताकि एसटीबी में किसी खराबी से बाधित सेवा तुरन्त बहाल की जा सके। ये पहले से एक्टिवेट नहीं होंगे। मेंटेनेंस स्पेयर एसटीबी की यह मात्रा इस करार की पूरी अवधि में बरकरार रखी जाएगी।

8.14 एमएसओ, ग्राहक के पैकेज की संरचना या रिटेल टैरिफ में प्रस्तावित किसी परिवर्तन की कम से कम 15 दिनों की अग्रिम सूचना एलसीओ को देगा।

8.15 एमएसओ, बिना पूर्व लिखित सूचना के, इस करार के तहत, एलसीओ को कोई कार्य देने या अधिकार ट्रान्स्फर (लेने) करने या दायित्व देने का प्रयास नहीं करेगा।

8.16 एमएसओ, ऊपर के क्लॉज़ नं. 8.13 के अनुसार या अन्यथा एलसीओ को बॉक्स की आपूर्ति करेगा, जोकि कम्पनी की मौजूदा नीति के अनुसार शुल्क आधारित होगा।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ, ग्राहक से सीएएफ मिलने के 15 दिनों के अन्दर इसकी एक कॉपी एमएसओ को सौंप देगा;

9.2 केबल टीवी सेवाओं के लिए एलसीओ को किए गए ग्राहक के बिल भुगतान के विवरण एसएमएस में एन्टर करने की ज़िम्मेदारी एलसीओ की होगी।

9.3 एलसीओ पायरेसी या ऐसी अन्य गतिविधियों में नहीं लिप्त होगा, जिसके प्रभाव या परिणामस्वरूप, एमएसओ या ट्रांसमिशन से जुड़े कोई अन्य लोगों के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन और हनन होगा।

9.4 एलसीओ बिना पूर्व लिखित सूचना के, इस करार के तहत एमएसओ को कोई कार्य देने या अधिकार ट्रांस्फर (लेने) करने या दायित्व देने का प्रयास नहीं करेगा।

9.5 एलसीओ, एमएसओ के एसटीबीज़ को बदलकर अन्य एमएसओ का एसटीबी नहीं लगाएगा। इसके लिए ग्राहक के मौजूदा कनेक्शन का एसटीबी वापस लेने और ग्राहक आवेदन पत्र पर नया कनेक्शन देने का आवेदन प्राप्त होना ज़रूरी है। नया सेट टॉप बॉक्स एक्टिवेट करने से पहले, नए एमएसओ के सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम में सभी विवरण एन्टर करना अनिवार्य है।

9.6 एलसीओ –

(i) ऐसे किसी सिग्नल का प्रसारण या पुनः प्रसारण, इंटरपोलेशन या मिश्रण नहीं करेगा जिसका प्रसारण या जेनरेशन एमएसओ ने नहीं किया हो;

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल के अंदर कोई कमर्शियल या विज्ञापन या सूचना नहीं डाल देगा। सिग्नल से छेड़छाड़ या सिग्नल का इंटरपोलेशन इस करार का उल्लंघन माना जाएगा और यह एमएसओ द्वारा इस करार को समाप्त करने का पर्याप्त कारण माना जाएगा, हालाँकि, इसके लिए कानून या इस करार के तहत आवश्यक सूचना देना होगा;

(iii) एमएसओ के सिग्नल से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और सिग्नल डिकोड करने, प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने के किसी उपकरण (उपकरणों) का प्रयोग, नकली सेट टॉप बॉक्स लगाने या स्मार्ट कार्ड और ऐसे अन्य उपकरणों के प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेगा;

(iv) हार्डवेयर के साथ–साथ सील (सेट टॉप बॉक्स खोलने से रोकने के लिए लगा सील) में फेरबदल या छेड़छाड़, स्मार्ट कार्ड या एसटीबी के दुरुपयोग, बदलने का प्रयास, एमएसओ की लिखित सहमित के बिना इसे मूल पते से हटाने और अन्यत्र लगाने का प्रयास नहीं करेगा;

(v) एमएसओ के दिए/उससे स्वीकृत एसटीबी, स्मार्ट कार्ड और अन्य उपकरण के सिवा डिकोड करने, रिकॉर्ड करने के किसी उपकरण, नकली सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड का उपयोग नहीं करेगा न तो एसटीबी लगाने से पहले और न ही बाद में। और ऐसा करने वाले ग्राहकों के खिलाफ एमएसओ के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगा;

(vi) सील समेत हार्डवेयर में फेरबदल या छेड़छाड़, स्मार्ट कार्ड और एसटीबी के दुरुपयोग, बदलने, एमएसओ की लिखित सहमित के बिना इसे मूल पते से हटाने और अन्यत्र लगाने की सूचना एमएसओ को अविलंब देगा। एमएसओ के एसटीबी, स्मार्ट कार्ड और अन्य उपकरण के सिवा, डिकोड करने, रिकॉर्ड करने के किसी उपकरण, नकली सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट के उपयोग, एसटीबी लगाने से पहले या बाद में, की सूचना भी देगा। ऐसे करने वाले ग्राहकों के खिलाफ एमएसओ के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगा।

9.7 एलसीओ केबल टीवी सिग्नल के पुनः प्रसारण के उद्देश्य से कनेक्शन देने का अधिकार किसी अन्य को नहीं देगा।

9.8 एलसीओ, केबल टीवी सिग्नल रिकॉर्ड करने और तब पुनः प्रसारण करने का प्रयास या एमएसओ के सिग्नल या ट्रंक लाइन को ब्लॉक करने या उनमें कुछ जोड़ने या बदलने या अन्य कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास न तो खुद करेगा और न ही अन्य किसी को करने देगा।

9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य या प्रयास नहीं करेगा जिससे इस करार के तहत केबल टीवी सिग्नल संबंधी एमएसओ के किसी अधिकार या हित का हनन होगा या एमएसओ की किसी प्रॉपर्टी का उल्लंघन होगा या वह अन्यथा प्रभावित होगी।

9.10 एलसीओ अपने नियंत्रण में मौजूद सिस्टम उपयोग करने का अधिकार एमएसओ को देगा। यह नॉन–एक्सक्लुसिव आधार पर होगा और इस करार की पार्टियों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने और प्रभावी आदेशों एवं विनियमों के अनुपालन के लिए होगा।

9.11 एमएसओ को 3 सप्ताह की अग्रिम सूचना के बिना एलसीओ टीवी सिग्नल डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। इस सूचना में प्रस्तावित डिस्कनेक्शन के कारण स्पष्ट करने होंगे जैसा कि इंटरकनेक्शन विनियम में स्पष्ट किया गया है।

9.12 एलसीओ चैनलों के सिग्नल निरंतर पुनः प्रसारित करेगा और इन्हें कभी भी ब्लॉक या ब्लैक आउट नहीं करेगा।

10. एमएसओ और एलसीओ की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँः

क्र.	भूमिका	एमएसओ या एलसीओ की ज़िम्मेदारियाँ दोनों पार्टियों की आम सहमति से निर्धारित	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्राहकों के लिए प्रसारण सेवाएँ शुरू करने हेतु उपभोक्ता आवेदन पत्र का इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या दोनों प्रारूप तैयार करना जिसमें क्यूओएस विनियमों के शेड्यूल I में उल्लिखित जानकारियाँ हों।	एमएसओ	
2	क. हर बार नया कनेक्शन देते हुए ग्राहकों को क्यूओएस विनियमों के अनुसार सेवाओं के विवरण देना। ख. ग्राहकों को एसटीबी स्कीम के विवरण देना और उस पर लागू वारंटी/मरम्मत की नीति के बारे में जानकारी देना।	एलसीओ एलसीओ	एलसीओ एसटीबी के लिए तैयार एमएसओ की स्कीम के बारे में ग्राहकों को जानकारी देगा।

3	विधिवत् भरा उपभोक्ता आवेदन पत्र मिलने के बाद ग्राहक को प्रसारण सेवाएँ देना और क्यूओएस विनियमों के अनुसार इसकी एक कॉपी भी ग्राहक को देना।	एलसीओ	आवेदन मिलने के 24 घंटों के अंदर एलसीओ प्रत्येक मामले में सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) में जानकारी अपडेट करेगा।
4	हर ग्राहक को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) देना और क्यूओएस विनियमों के अनुसार ग्राहक को इसकी सूचना देना।	एलसीएल	यूआईएन एसएमएस में जेनरेट होता है। इस उद्देश्य से एलसीओ को एमएसओ ने ओवाईसी माध्यम से एसएमएस का संबद्ध हिस्सा उपयोग करने का अधिकार दिया होगा।
5	उपभोक्ताओं के लिए प्रसारण सेवाएँ एक्टिवेट करना	एलसीओ	1) एसएमएस में उपभोक्ता आवेदन पत्र के विवरण एन्टर करने के बाद ही एक्टिवेशन किया जा सकता है। 2) प्रसारण सेवाएँ एक्टिवेट करने के उद्देश्य से एलसीओ को एमएसओ का एसएमएस उपयोग करने का अधिकार है।
6	उपभोक्ता की मांग पर चैनल (चैनलों) या बुके का एक्टिवेशन उपभोक्ता के सत्यापन योग्य आवेदन मिलने के बाद ही किया जाएगा जैसा कि क्यूओएस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।	एमएसओ/ एलसीओ	एलसीओ एमएसओ के निर्धारित सिस्टम से काम करेगा और इस संबंध में ट्राई के निर्देशों का पालन करेगा।
7	उपभोक्ता की मांग पर उसके पैकेज़ से चैनल (चैनलों) या बुके का डीएक्टिवेशन उपभोक्ता के सत्यापन योग्य आवेदन मिलने के बाद ही किया जाएगा जैसा कि क्यूओएस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।	एमएसओ	
8	उपभोक्ता की मांग पर प्रसारण सेवाएँ अस्थायी रूप से रोकना जिसका क्यूओएस विनियमों के तहत प्रावधान किया गया है।	एमएसओ/ एलसीओ	
9	उपभोक्ता की मांग पर पुनः सेवाएँ बहाल करना जो क्यूओएस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।	एलसीओ	
10	उपभोक्ता के निवेदन पर क्यूओएस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसके कनेक्शन का स्थानांतरण करना।	एलसीओ	

11	उपभोक्ता को क्यूओएस विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मेंटेनेंस की वजह से सेवाएँ बाधित करने की सूचना देना।	एमएसओ	
12	उपभोक्ता के निवेदन पर एक उपभोक्ता को प्रसारण सेवाएँ डिस्कनेक्ट करना और क्यूओएस विनियमों के तहत नियमों और शर्तों को पूरा करने पर उसकी जमा राशि वापस करना।	एलसीओ	
13	उपभोक्ताओं को क्यूओएस विनियमों के अनुसार प्रीपेड या पोस्ट पेड या दोनों आधार पर प्रसारण सेवाएँ देना।	एमएसओ	
14	उपभोक्ता के निवेदन पर भुगतान का माध्यम प्री–पेड से पोस्ट–पेड या इसके विपरीत करना, जो भी लागू हो।	एमएसओ	
15	उपभोक्ताओं के पोस्ट–पेड बिल तैयार करना क्यूओएस विनियमों के अनुसार।	एनए	
16	उपभोक्ताओं को पोस्ट–पेड बिल देना क्यूओएस विनियमों के अनुसार।	एनए	
17	पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं के हाथ से भुगतान की रसीद काटना और आपूर्त करना और क्यूओएस विनियमों के अनुसार रसीद के विवरण सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम में एन्टर करना।	एनए	
18	प्री–पेड उपभोक्ताओं के भुगतान की पावती देना और तदनुसार विवरण सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम में एन्टर करना।	एलसीओ	
19	उपभोक्ताओं को क्यूओएस विनियमों में उल्लिखित मानकों पर तैयार सेट टॉप बॉक्स प्रदान करना।	एमएसओ/ एलसीओ	उपभोक्ताओं के परिसरों में एसटीबी लगाने का काम एलसीओ का है
20	एसटीबी की विभिन्न स्कीम क्यूओएस विनियमों के अनुसार पेश करना।	एलसीओ	
21	उपभोक्ता यदि सीधे किसी स्कीम को खरीद लेता है तो गारंटी/वारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद क्यूओएस विनियमों के अनुसार ग्राहक परिसर में लगे उपकरण के लिए सालाना देखभाल की स्कीम देना।	एलसीओ	
22	सेट टॉप बॉक्स के सही से काम न करने पर क्यूओएस विनियमों के अनुसार मरम्मत करना।	एलसीओ	
23	टॉल–फ्री कन्ज़्यूमर केयर नंबर और वेब–आधारित शिकायत समाधान तंत्र का पता की जानकारी जन–जन तक पहुँचाने के लिए कस्टमर केयर चैनल और वेबसाइट का उपयोग करना जैसा कि क्यूओएस	एमएसओ	

	विनियमों में प्रावधान किया गया है।		
24	उपभोक्ताओं को उपयोग पुस्तिका (एमओपी) की प्रतियाँ उपलब्ध कराना जिसका क्यूओएस विनियमों में प्रावधान है।	एलसीओ	एमओपी के विषय–वस्तु का निर्धारण एमएसओ करेगा। एमओपी की प्रतियाँ एलसीओ को दी जाएंगी।
25	सरकार के करों का भुगतान।	एलसीओ और एमएसओ	पार्टियों को आमदनी में हिस्सेदारी के हिसाब से करों के भुगतान की ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी।

11. बिल तैयार करना और भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया :

11.1 भुगतान/कलेक्शन की प्रक्रिया

क) इस करार के अनुसार एमएसओ के पास एलसीओ का पेमेंट वॉलेट होगा जिसके माध्यम से एलसीओ एमएसओ को भुगतान करेगा।

ख) एलसीओ के पेमेंट वॉलेट में हमेशा पर्याप्त राशि हो ताकि एलसीओ ग्राहकों के भुगतान की अवधि समाप्त होने से पहले उनके खातों को समय से रीचार्ज कर दे और उपभोक्ताओं की सेवाएँ स्थगति/बाधित न हो।

ग) पेमेंट वॉलेट में पर्याप्त राशि रखने के लिए एलसीओ चेक/डीडी/आरटीजीएस या पार्टियों की सहमति से अन्य किसी माध्यम से एमएसओ को नियत राशि (लागू दरों से सभी करों एवं शुल्कों विशेष कर जीएसटी) का भुगतान करेगा।

घ) एलसीओ ओवाईसी (ऑन युअर कस्टमर) पोर्टल पर अपने उपभोक्ता के लिए रीचार्ज करेगा (संबंधित उपभोक्ता के बिल चक्र समाप्त होने से पहले)। एमएसओ उसे यह पोर्टल उपयोग करने का अधिकार देगा।

ङ) एमएसओ उपभोक्ता के रीचार्ज करने के समय नियत राशि एलसीओ के पेमेंट वॉलेट से काट लेगा। इसमें करार के तहत एमएसओ को देय एलसीओ के सभी लागू कर भी शामिल होंगे।

च) एलसीओ के ग्राहक के बिलों/भुगतान प्राप्त होने की पूरी जानकारी ओवाईसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी जो एलसीओ अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

11.2 एलसीओ उपभोक्ता से मिली हुई राशि के विवरण कलेक्शन के 24 घंटों के अंदर एसएमएस में अपडेट कर सकता है।

11.3 बिलिंग

11.3.1 उपभोक्ता की बिलिंग (उपभोक्ता बनने के शुल्क, इंस्टॉलेशन शुल्क, यदि लागू हो, एक्टिवेशन/दोबारा एक्टिवेशन आदि सभी शुल्कों के विवरण) एलसीओ के नाम पर की जाएगी जिसमें एलसीओ का जीएसटी नंबर, जो लागू हो, देना होगा।

11.3.2 एलसीओ यह सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन हो और उसके नाम बिलों के करों का भुगतान करना होगा।

11.3.2 एलसीओ उपभोक्ता बनने के शुल्क और अन्य सभी शुल्क स्वीकार करेगा। इस करार के क्लॉज़ 12. 1 के अनुसार एलसीओ आमदनी में एमएसओ को हिस्सा देगा जो इस करार के नियमानुसार होगा।

11.3.3 हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है और इस पर सहमति है कि एमएसओ को सेवाएँ देने के लिए उपभोक्ताओं से आवश्यक शुल्क लेने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत अन्य शुल्कों के साथ शामिल हैं एक्टिवेशन/री–एक्टिवेशन के शुल्क, स्थानांतरण के शुल्क और उपकरण के शुल्क या अन्य शुल्क जो एमएसओ निर्धारित करता है।

11.4 उपभोक्ता को बिल (इन्वॉयस) देने और कलेक्शन करने की एलसीओ की जिम्मेदारीः

क) एलसीओ, अपने नाम पर उपभोक्ताओं को इन्वॉयस देगा जो ओवाईसी पोर्टल पर एमएसओ के एसएमएस से तैयार होगा। पार्टियों के बीच यह स्पष्ट किया जाता है और इस पर सहमति है कि एलसीओ के सिस्टम में कोई गलत जानकारी डालने के लिए एमएसओ ज़िम्मेदार नहीं होगा। ऐसी किसी त्रुटि के लिए केवल एलसीओ को ज़िम्मेदार माना जाएगा।

ख) उपभोक्ताओं को क्यूओएस नियमनों का अनुपालन करते हुए इन्वॉयस दिए जाएंगे।

ग) एलसीओ उपभोक्ताओं के भुगतान की पावती देगा (सभी शुल्कों के संबंध में) और तदनुसार एसएमएस को अपडेट करेगा। साथ ही, एलसीओ उपभोक्ताओं को सभी भुगतानों की रसीदें देगा (जो ओवाईसी पोर्टल पर एसएमएस माध्यम से जेनरेट किया जाएगा)।

11.5 उपभोक्ता यदि एलसीओ को भुगतान करता है तो एलसीओ पेमेंट वॉलेट के माध्यम से ओवाईसी पोर्टल पर उपभोक्ता के खाते को क्रेडिट कर देगा (भुगतान मिलने के 24 घंटों के अंदर)। हालाँकि, यदि उपभोक्ता एमएसओ को ऑनलाइन भुगतान कर देता है तो एमएसओ एलसीओ के वॉलेट के माध्यम से उपभोक्ता के खाते को क्रेडिट कर देगा (भुगतान मिलने के 24 घंटों के अंदर)।

11.6 एलसीओ का वचन देना

11.6.1 एलसीओ, यदि ज़रूरत हो तो अविलंब वस्तु एवं सेवा करदाता पहचान संख्या (''GSTIN'') बताएगा। जीएसटी अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन न करने की वजह से (जिसमें अन्य बातों के साथ गैर–पंजीकरण या GSTIN का कोई विवरण या कर का भुगतान, एलसीओ की तरफ से गलत/अधूरा/अनुपालन शामिल है), यदि एमएसओ को कोई नुकसान या हर्जाना लगता है तो एलसीओ तत्काल एमएसओ और इसके निदेशकों, अधिकारियों कर्मचारियों और एजेंटों को ऐसे नुकसानों को पूरा करने और/या अनुपालन न करने की वजह से एमएसओ पर लगे हर्जाना और कानूनी लड़ाई के खर्च की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देगा।

11.6.2 यदि एमएसओ को किसी कर से मुक्ति है या एलसीओ की तुलना में कर की दर कम है तो एमएसओ, राजस्व प्राधिकरणों द्वारा जारी कम कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और एलसीओ तदनुसार कर में कटौती करेगा।

11.6.3 एमएसओ ज़रूरी डॉक्युमेंट पर इस एमएआईए के तहत आपूर्त वस्तुओं/सेवाओं के हार्मोनाइज़्ड सिस्टम ऑफ नोमेन्क्लेचर ('एचएसएन') कोड का उल्लेख करेगा।

11.6.4 यदि, एमएसओ, एलसीओ (जैसा एलसीओ द्वारा प्रदान किया गया) के जीएसटी विवरणों को अपलोड करता है और इस पर कर प्राधिकरणों में सिटी के साथ विवाद/या कानूनी लड़ाई होती है तो एलसीओ, एमएसओ एवं इसके निदेशकों, अधिकारियों, कार्मिकों और एजेंटों को कर और ब्याज, हर्जाना और कानूनी लड़ाई के खर्च आदि के भुगतान, जोकि एमएसओ को कर प्राधिकरणों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को किसी भी ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का वचन देता है और इस पर सहमत है।

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि एमएसओ को एलसीओ के सही विवरण न देने की वजह से एलसीओ को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता है तो एलसीओ को यह अनुमति (छूट) नहीं मिलने के लिए एमएसओ ज़िम्मेदार नहीं होगा।

11.6.5 आगे यह सहमति भी बनी है कि यदि किसी पार्टी के खिलाफ जीएसटी कानून समेत किसी कानून के तहत कोई कार्यवाहियाँ शुरू की जाती हैं तो पार्टियाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत हैं और ऐसी कार्यवाहियों के लिए तर्कसंगत सभी जानकारियाँ प्रदान करेंगी।

11.6.6 पार्टियों में यह सहमति है कि एलसीओ का जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण नहीं होना या पंजीकरण स्थगित या रद्द होना एमएसओ को इस एमआईए के तहत प्रभावी जीएसटी लागू करने से रोकता नहीं है और एलसीओ के जीएसटी पंजीकरण का जो भी मामला हो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। एलसीओ यह वचन देता है और इससे सहमत है कि एलसीओ समय से जीएसटीआईएन और अन्य आवश्यक विवरण जमा करने के लिए ज़िम्मेदार है और जीएसटीआईएन नहीं जमा करने का अर्थ जीएसटी कानूनों के तहत पंजीकरण नहीं होना माना जाएगा और एलसीओ जीएसटीआईएन का प्रावधान नहीं करने या जीएसटीआईएन जमा करने में विलंब के लिए सिटी पर कोई दावा नहीं कर सकता है।

11.6.7 पार्टियाँ इससे भी सहमत हैं कि जीएसटी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए (यदि आवश्यकता होती है) वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियमों/कानूनों के प्रावधानों का समावेश करने के उद्देश्य से इस एमआईए के नियमों में उपयुक्त विस्तार/संशोधन करेंगी।

11.7 पहले से बकाया

इस करार पर हस्ताक्षर की तिथि में एमएसओ के खातों के अनुसार एलसीओ पर सबस्क्रिप्शन और अन्य शुल्कों का भुगतान बकाया हैं, जिसकी सूचना एलसीओ को पहले से ही दे दी गई है। कथित दावों पर एलसीओ सहमत है और इस करार की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त बकाया राशियों के मिलान करने और मिलान की प्रक्रिया पूरी कर एलसीओ सिटी को 10 दिनों के अंदर भुगतान करने वचन देता है (मिलान के विवरण के अनुसार)। यदि एलसीओ उपरोक्त प्रक्रिया नहीं आरंभ करता है तो खातों में दर्ज और एलसीओ को सूचित और एलसीओ से स्वीकृत राशियों को एलसीओ के लिए मान्य माना जाएगा।

11.8 छूट/इंसेंटिव

एमएसओ को समय–समय पर छूट के साथ स्कीम पेश करने और/या इंसेंटिव की घोषणा करने का अधिकार है और ऐसी स्कीम की सभी शर्तें पूरी करने पर एलसीओ को यह छूट/इंसेंटिव लेने का अधिकार होगा।

12. आमदनी में एलसीओ और एमएसओ की हिस्सेदारी और उनके अधिकार एवं कर्तव्यः

12.1 एलसीओ पर सबस्क्रिप्शन फी/एक्टिवेशन/दोबारा एक्टिवेशेन/इक्विपमेंट शुल्क (जैसा कि एमएसओ द्वारा आवश्यकता है) आदि समेत सभी शुल्क के कलेक्शन की ज़िम्मदारी होगी।

12.2 आमदनी में एलसीओ और एमएसओ की हिस्सेदारी निम्नवत होगीः–

(क) नेटवर्क कैपेसिटी फी के रूप में लिए गए शुल्कों में एमएसओ और एलसीओ की हिस्सेदारी क्रमशः _55___:_45_ के अनुपात में होगी;

और

(ख) चैनलों के बुके के सबस्क्रिप्शन (सिवा क्लॉज़ (क) में उल्लिखित और अन्य पे चैनल) के रूप में सबस्क्राइबर से प्राप्त कुल राशि से डिस्ट्रिब्यूशन फी में एमएसओ और एलसीओ की हिस्सेदारी क्रमशः _55___:_45_ के अनुपात में होगी और शेष पूरी राशि का भुगतान एलसीओ एमएसओ को कर देगा।

और

(ग) एक या ज़्यादा अ ला कार्त चैनलों, ऐड ऑन पैक, एचडी चैनल पैक या एचडी अ ला कार्त चैनल या क्लॉज़ (क) और (ख) में उल्लिखित चैनलों के सिवा अन्य किसी चैनल के लिए सबस्क्राइबर से प्राप्त कुल राशि से आपसी सहमति से निर्धारित डिस्ट्रिब्यूशन फी में एमएसओ और एलसीओ की हिस्सेदारी क्रमशः _55___:_45_ के अनुपात में होगी और शेष पूरी राशि का भुगतान एलसीओ एमएसओ को कर देगा।

12.3 एमएसओ आमदनी का हिसाब करने के लिए आगामी माह के पहले सप्ताह एलसीओ के लिए देय राशि का मासिक इन्वॉयस देगा और ऐसे इन्वॉयस में चालू बकाया राशि और पिछली बकाया राशि, यदि हो, की स्पष्ट जानकारी होगी।

13. भुगतान न करने पर

13.1 भुगतान की नियत तिथि या उससे पहले बकाया राशियों के भुगतान में यदि एमएसओ या एलसीओ, जो भी मामला हो, विलंब करता है या भुगतान नहीं करता है तो प्रभावी कानून या इस करार के प्रावधानों के तहत पार्टियों के अधिकारों और समस्या समाधान को प्रभावित किए बिना निम्नलिलिखत अधिकार होंगेः–

(i) प्रभावी नियमों, विनियमों, निर्देशों या प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करते हुए सेवाएँ डिसकनेक्ट कर देना;

(ii) प्रभावी कानूनों का अनुपालन करते हुए यह करार समाप्त कर देना;

(iii) यह राशि बकाया होने की तिथि से लेकर पूर्ण और अंतिम रूप से भुगतान करने की तिथि तक भारतीय स्टेट बैंक की बेस दर के ऊपर और अतिरिक्त 2% की दर से सामान्य ब्याज लागू कर देना;

13.2 यदि इससे पहले इनमें किसी पार्टी ने लगातार तीन महीनों तक नियत तिथि या उससे पहले भुगतान न किया हो तो अन्य पार्टी ब्याज रहित सुरक्षा जमा की मांग कर सकती है जो बिल्कुल हाल के पिछले 6

महीनों के औसत से अधिक नहीं होगी और इस करार की बाकी अवधि में भी यह राशि सुरक्षित रखनी होगी।

13.3 उपरोक्त क्लॉज़ 13.1 के अनुसार सेवा काट देने पर चाहे इसके साथ करार समाप्त किया गया या नहीं, चूक करने वाली पार्टी को अविलंब सभी बकाया राशियाँ जमा करनी होगी। करार समाप्त करने पर तीस दिनों के अंदर पूरा हिसाब करना होगा और विलंब से भुगतान के लिए संबद्ध पार्टी को भारतीय स्टेट बैंक की बेस दर के ऊपर और अतिरिक्त 2% की दर से सामान्य ब्याज देना होगा।

14. वचन

14.1 प्रत्येक पार्टी अन्य पार्टी की प्रॉपर्टी और अन्य पार्टी द्वारा इन्स्टॉल की गई प्रॉपर्टी पर केवल उसके स्वामित्व को स्वीकार करती है और ऐसी किसी प्रॉपर्टी पर अन्य पार्टी का किसी भी प्रकृति क्ष्ै कोई भी अधिकार या अधिकार की दावेदारी, स्वामित्व या हित या लियन नहीं होगा।

14.2 उल्लिखित किसी विवरण से किसी पार्टी को किसी उद्देश्य से दूसरी पार्टी का एजेंट या पार्टनर या प्रतिनिधि का अधिकार नहीं मिलता है और इनमें किसी पार्टी को दूसरी पार्टी के नाम पर या उसकी ओर से किसी प्रकार की जिम्मेदारी या दायित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संभाल लेने, कायम करने या प्रदान करने का हक या अधिकार नहीं मिलता है और एमएसओ एवं एलसीओ के बीच ''प्रधान से प्रधान'' का संबंध रहेगा।

14.3 पार्टियाँ स्पष्ट रूप से समझती हैं कि ''सिटी'' लोगो एमएसओ का एक रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है और एलसीओ केवल करार की अवधि में इस लोगो का उपयोग करते हुए एमएसओ के केबल टेलीविज़न नेटवर्क व्यवसाय का लाभ ले सकता है। एमएसओ ने कथित लोगो के उपयोग के लिए एलसीओ को सहमति दी है जो एमएसओ के व्यवसाय तक सीमित हो या व्यवसाय के संबंध में हो।

14.4 पार्टियाँ स्पष्ट रूप से समझती हैं कि ''________________________'' लोगो एलसीओ का एक रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है और एमएससो केवल करार की अवधि में इस लोगो का उपयोग करते हुए एलसीओ के केबल टेलीविज़न नेटवर्क व्यवसाय का लाभ ले सकता है। एलसीओ ने कथित लोगो के उपयोग के लिए एमएसओ को सहमति दी है जो एलसीओ के व्यवसाय तक सीमित हो या व्यवसाय के संबंध में हो।

14.5 प्रत्येक पार्टी स्पष्टतः यह समझती और स्वीकार करती है कि इसे दूसरी पार्टी की सहमति वापस लेने पर या उसके बाद अपनी केबल टीवी सेवा या अन्यत्र दूसरे की बौद्धिक संपदा उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है।

14.6 यदि एलसीओ या एमएसओ, जो भी स्थिति हो, अपने केबल टीवी सेवा कारोबार का संपूर्ण या आंशिक स्वामित्व किसी अन्य पार्टी व्यक्ति (थर्ड पार्टी) के नाम करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ या एमएसओ, जो भी स्थिति हो, एमएसओ या एलसीओ को इसकी पूर्व सूचना देगा। दूसरी पार्टी को स्वामित्व के इस अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते दूसरी पार्टी इस करार के दायित्वों को पूरा करता है और इसके सभी बकाया राशियों का भुगतान करता है।

हालाँकि, यह प्रावधान किया गया है कि कथित थर्ड पार्टी को इस करार के नियमों और शर्तों को मानने के लिए हस्ताक्षर और करार करना होगा और इस करार के प्रावधानों को प्रभावी रखने के लिए आवश्यक अन्य वचन/बॉण्ड भी देना होगा जो एमएसओ या एलसीओ, जो भी स्थिति हो, के लिए संतोषप्रद हो।

14.7 एलसीओ, केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुसार पोस्टल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रभावी रखेगा और समय–समय पर इसका नवीकरण कराएगा और डाक प्राधिकरण के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

14.8 एमएसओ, केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रभावी रखेगा और समय–समय पर इसका नवीकरण कराएगा और रजिस्ट्रेशन के नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

14.9 दोनों पार्टियाँ केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम, 1994 के अनुसार, समय–समय पर यथा संशोधित, प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का अनुपालन करेंगी।

14.10 दोनों पार्टियाँ उन पर लागू भारत के वर्तमान कानूनों का अनुपालन करेंगी।

15. पायरेसी की रोकथाम

15.1 पार्टियाँ न तो खुद पायरेसी या हार्डवेयर या अन्य किसी कम्पोनेंट की तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगी और न ही किसी अन्य को करने देगी और न ही इस हार्डवेयर से जेनरेट सिग्नल के दोबारा प्रसारण के लिए हार्डवेयर से किसी उपकरण को जोड़ कर एक मिनी हेड–एंड तैयार करेंगी।

15.2 यदि सबस्क्राइबर खुद पायरेसी में लिप्त या इसमें सहयोग करता पाया गया तो विधिवत सूचना देकर एमएसओ या एलसीओ, जैसी भी स्थिति हो, उसका कनेक्शन काट देगा।

16. डिस्क्लेमर और ज़िम्मेदारी से मुक्त करना

16.1 यदि एलसीओ को सेवा रुकने, बाधित होने या जारी नहीं रहने की वजह से अप्रत्यक्ष, विशेष, संबद्ध या परिणामी नुकसान होता है या किसी अन्य असुविधा, निराशा या प्रोग्राम या जानकारी नहीं मिल पाने से या अप्रत्यक्ष या परिणामी कोई नुकसान या क्षति होती है तो इसके लिए एमएसओ जिम्मेदार नहीं होगा यदि ऐसा एमएसओ के किसी कार्य की वजह से नहीं होता है।

16.2 यदि एमएसओ को सेवा रुकने, बाधित होने या जारी नहीं रहने की वजह से अप्रत्यक्ष, विशेष, संबद्ध या परिणामी नुकसान होता है या किसी अन्य असुविधा, निराशा या प्रोग्राम या जानकारी नहीं मिल पाने से या अप्रत्यक्ष या परिणामी कोई नुकसान या क्षति होती है तो इसके लिए एलसीओ जिम्मेदार नहीं होगा यदि ऐसा एलसीओ के किसी कार्य की वजह से नहीं होता है।

16.3 एलसीओ के गलती करने या यह करार समाप्त करने या करार का उल्लंघन करने पर सेवा स्थगित होने से किसी थर्ड पार्टी या किसी सबस्क्राइबर को हुई असुविधा, नुकसान या परेशानी के खिलाफ कोई दावा, कार्यवाही या प्रक्रिया की जाती है तो संबद्ध सभी खर्चों, व्यय और नुकसान के प्रति एलसीओ एमएसओ को जिम्मेदार मुक्त रखेगा।

16.4 एमएसओ के गलती करने या यह करार समाप्त करने या करार का उल्लंघन करने पर सेवा स्थगित होने से किसी थर्ड पार्टी या एमएसओ की किसी भी चूक के कारण सबस्क्राइबर को हुई असुविधा, नुकसान या परेशानी के खिलाफ कोई दावा, कार्यवाही या प्रक्रिया की जाती है तो संबद्ध सभी खर्चों, व्यय और नुकसान के प्रति एमएसओ एलसीओ को जिम्मेदार मुक्त रखेगा।

17. प्रशासनिक कानून और विवाद निपटान

17.1 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, 1997 के जनादेश के अनुसार, पार्टियाँ इस करार से जुड़े दावों, विवादों या पार्टियों के मतभेदों पर मुकदमा दायर करने या तत्काल रोक लगवाने (इंजंक्शन) या अंतरिम आदेश लेने के लिए दूरसंचार विवाद निपाटन एवं अपीली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (**"TDSAT"**) को छोड़ कर और इसके सिवा भारत के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष नहीं जाएगी।

18. नियंत्रण से बाहर की आपदाएँ (फोर्स मेज़र)

18.1 यदि एमएसओ या एलसीओ दोनों में कोई पार्टी नियंत्रण से बाहर की आपदओं की वजह से इस करार के दायित्वों को पूरा नहीं करती है तो आपदा की सीमा तक उसके खिलाफ दूसरी पार्टी को न तो दावा करने का अधिकार होगा और न ही इसे करार का उल्लंघन माना जाएगा। यदि ऐसी आपदा की वजह से किसी पार्टी के इस करार के दायित्वों को पूरा करने में विलंब होता है तो इस अवधि को अवधि के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा में शामिल हैं, दैविक प्रकोप, भूकंप, समुद्री ज्वार, तूफान, बाढ़, आसमान से बिजली गिरना, विस्फोट, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना, घेराबंदी, महामारी, आर्सन, नागरिक विद्रोह, आतंकी घटना, युद्ध की स्थिति या संबद्ध प्राधिकरणों के कानूनों या नियमों और विनियमों का लागू होना, या पार्टियों का रजिस्ट्रेशन वापस लिया जाना, परिस्थति का पार्टियों के तर्कसंगत नियंत्रण से बाहर होना जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी पार्टी के लिए यहाँ विचाराधीन कार्य–व्यवसाय की प्रक्रिया आरंभ करने या पूरा करने में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न हो गई हो। ऐसी किसी आपदा से पीड़ित पार्टी दूसरी पार्टी को अविलंब यह सूचना देगी। हालाँकि, दोनों पार्टियों की यह सहमति है कि आर्थिक अभाव न तो यह आपदा है और न ही माना जाएगा।

18.2 ऐसी आपदा से पूर्व किसी पार्टी की बकाया राशि ऐसी आपदा की वजह से करार समाप्त करने के बावजूद देय होगी।

19. नोटिस

19.1 यदि एक पार्टी पर अन्य पार्टी द्वारा भारत सरकार के डाक विभाग के रजिस्टर्ड पोस्ट एकनॉलजेमेंट ड्यू (RPAD) या स्पीड पोस्ट सेवा से या एलसीओ ______________________________ की ई–मेल आईडी ______________________________________ पर नेटिस भेजती है तो इसे वैध रूप से भेजा गया माना जाएगा जो शुरू में उल्लिखित पते या एलसीओ के निम्लिखित पते ____ या पार्टी के अन्य किसी परिवर्तित पता, जिसकी सूचना दी गई हो, पर विधिवत, स्वीकार की जाती है और ऐसी नोटिस के मिलने की तिथि को अन्य पार्टी के लिए स्वीकार करने की तिथि माना जाएगा या आरपीएडी से नोटिस भेजने पर इस तिथि से 7 दिनों के अंदर नोटिस प्राप्त माना जाएगा।

20. अंतरण पर प्रतिबंध

20.1 दोनों में किसी पार्टी को दूसरे के नेटपर्क के सभी या किसी भाग को हटाने, बेचने, दूसरों को देने, गिरवी रख देने, अंतरण/सबलेट और भारित कर देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई पार्टी उपरोक्त कोई प्रयास करता है तो गैरकानूनी और शुरू से व्यर्थ और कथित पार्टी पर प्रभावी कानूनों के तहत कार्यवाही भी की जाएगी।

21. गोपनीयता

21.1 पार्टियाँ एक दूसरे के मामलों/कारोबार में भाग लेते हुए एक दूसरी की जानकारियाँ बिल्कुल गोपनीय रखेंगी और ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देंगी जो इस करार का हिस्सा नहीं हो।

21.2 पार्टियाँ अपने कार्मिकों, अधिकारियों, सलाहकारों, सहयोगियों, ठेकेदारों, एजेंटों, अधिकृत लोगों और ऐसे अन्य लोगों को भी उपरोक्त जाकनकारियों की गोपनीयता रखने के इस दायित्वों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध रखेंगी।

21.3 हालाँकि, पार्टियाँ इससे सहमत हैं कि वैधानिक प्राधिकरणों की मांग पर गोपनीय जानकारियां ऐसे वैधानिक प्राधिकरणों को प्रदान की जाएंगी।

22. परिवर्तन

22.1 इस करार में केवल लिखित रूप में कोई परिवर्तन, विविधता या करार समाप्त करने का प्रावधान है। करार में किसी विविधता, करार में कुछ नया जोड़ने, एनेक्सर, शेड्यूल या अन्य डॉक्युमेंट, चाहे जिस नाम से हो पर करार से संबद्ध हो, जोड़ने का काम आपसी सहमति से लिखित रूप में करना होगा और पार्टियों या उनकी ओर से किसी को यह कार्य पूरा करना होगा।

23. बाध्यता

23.1 यह करार कथित मामले में कथित पार्टियों की इससे पूर्व के सभी आपसी समझौतों को परिवर्तित करता है और दोनों पार्टियों की लिखित सहमति के सिवा अन्य किसी माध्यम से इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अन्य किसी मामले में या पार्टियों के संचित अधिकारों और दायित्वों के संबंध में इस करार से बाहर पार्टियों के बीच अन्य समझौते (यदि) पूर्णतः लागू और प्रभावी रहेंगे।

साक्षी जिनके समक्ष पार्टियों ने उपरोक्त तिथि एवं वर्ष में इस करार के लिए अपने–अपने हाथों के निशान दिए और हस्ताक्षर (सबस्क्राइब) किए।

______________________________ **कृते सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड**	______________________________ **कृते (एलसीओ) नाम : ____________________**
नाम :______________________________	**नाम :______________________________**

पदनाम :______________________________	पदनाम :______________________________
साक्षी :______________________________ नाम :______________________________ पता :______________________________	साक्षी :______________________________ नाम :______________________________ पता :______________________________
साक्षी :______________________________ नाम :______________________________ पता :______________________________	साक्षी :______________________________ नाम :______________________________ पता :______________________________

शेड्यूल

परिभाषाएँ एवं व्याख्याएँ

क. परिभाषाएँ

इस करार के शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ निम्नलिखित हैं यदि संदर्भ से अन्य अर्थ लाना अनिवार्य न होः

क) **''अधिनियम''** का अर्थ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (24 / 1997), समय–समय पर संशोधन के अनुसार;

ख) **''ऐड्रेसेबल सिस्टम''** का वही अर्थ होगा जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियम), अधिनियम, 1995 (7 / 1995), समय–समय पर संशोधन के अनुसार;

ग) **''प्राधिकरण''** का अर्थ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है जिसका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत की गई;

घ) **''बेसिक सर्विस टियर''** का वही अर्थ होगा जो टैरिफ आदेश में इसे दिया गया है।

ङ) **''बुके'' या ''चैनलों के बुके''** का अर्थ अलग–अलग चुने हुए चैनल हैं जो एक समूह या बंडल में दिए जाते हैं;

च) **''ब्रॉडकास्टर''** का अर्थ कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या निगमित निकाय या कोई संगठन या निकाय जिसने केंद्र सरकार से अपने नाम से अपलिंक या डाउनलिंक करने की अनुमति ली है, इसके चैनलों के लिए जो लागू हो, प्रोग्राम सेवाएं प्रदान करता हो;

छ) **''केबल सर्विस या केबल टीवी सर्विस''** का अर्थ प्रोग्रामों का केबल से पारेषण (ट्रांसमिशन) जिसमें किसी ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सिग्नलों का केबल से ट्रांसमिशन भी शामिल है;

ज) **''केबल टेलीविज़न नेटवर्क या केबल टीवी नेटवर्क''** का अर्थ ऐसे सिस्टम है जिसमें बंद पारेषण पथों का एक सेट हो और संबंधित सिग्नल जेनरेट हो, नियंत्रण और वितरण के उपकरण हों, जो कई उपभोक्ताओं के प्राप्त करने के लिए केबल सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो;

झ) **''चैनल या टीवी चैनल''** का अर्थ कोई चैनल जो निम्नलिखित के तहत रजिस्टर्ड है ––––

(i) भारत से अपलिंक करने के निर्देशानुसार, जो सं. 1501/2/2002–टीवी (आई) (पीटी.) के माध्यम से 2 दिसंबर, 2005 को जारी किया गया; या

(ii) टेलीविज़न चैनल डाउनलिंक करने के नीति निर्देशानुसार, जो सं. 13/2/2002–बीपी & एल/बीसी–IV के माध्यम से 11 नवंबर, 2005 को जारी किया गया, ––

टेलीविजन चैनलों को अपलिंक या डाउनलिंक करने के लिए, समय–समय पर संशोधित, या ऐसे अन्य दिशानिर्देश, जोकि भारत सरकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) जारी की जा सकती है और 'चैनल' शब्द का अर्थ ''चैनल या टीवी चैनल'' समझा जाएगा;

(ञ) **''शिकायत केंद्र''** का अर्थ उपभोक्ता शिकायत समाधान नियमन के तहत मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या उससे जुड़े लोकल केबल ऑपरेटर, जो भी स्थिति हो, के स्थापित केंद्र हैं;

(ट) **''उपभोक्ता शिकायत समाधान नियमन''** का अर्थ उपभोक्ता शिकायत समाधान (डिजिटल ऐड्रेसबल केबल टीवी सिस्टम्स) विनियम, 2012 (13/2012), दिनांकित 14 मई, 2012, समय–समय पर यथा संशोधित;

(ठ) **''सीटीएन अधिनियम''** का अर्थ है केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियम), अधिनियम, 1995 (7/1995), समय–समय पर संशोधन के अनुसार।

(ड) केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संदर्भ में **''एन्क्रिप्शन या एन्क्रिप्टेड''** का अर्थ ऐसे सिग्नलों को सुनियोजित तरीके से बदल देना ताकि ऐड्रेसेबल सिस्टम उपयोग किए बिना ये सिग्नल पढ़ने में नहीं आए और अभिव्यक्ति ''अनएन्क्रिप्टेड'' का अर्थ तदनुसार माना जाएगा;

(ढ) **''फ्री टु एयर चैनल''** का वही अर्थ होगा जो टैरिफ आदेश में इसे दिया गया है।

(ण) **''हार्डवेयर''** का अर्थ मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर से स्वीकृत सेट टॉप बॉक्स जो एन्क्रिप्टेड रूप में प्रसारित चैनलों के सिग्नलों के डीक्रिप्शन का काम करता है। रिमोट और इससे जुड़े अन्य कम्पोनेंट और एक्सेसरीज़ हार्डवेयर में शामिल हैं।

(त) **''हेडएण्ड''** का अर्थ वह केंद्र जिसमें सेटेलाइट रिसीवर, मॉड्युलेटर, कम्प्रेशन उपकरण, मल्टीप्लेक्स, और कंडिशनल एक्सेस की सुविधाएँ, अन्य पारेषण उपकरण और एंटेना होते हैं जो सैटेलाइट और/या लोकल स्टुडियो से सिग्नल प्राप्त कर सीधे या संबद्ध एलसीओ के माध्यम से ग्राहकों के लिए सिग्नलों का पुनः पारेषण करते हैं;

(थ) **''इंटरकनेक्शन रेगुलेशन''** का अर्थ दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल ऐड्रेसबल केबल टेलीविज़न सिस्टम्स) विनियम, 2012 (9/12), 30 अैल, 2012 दिनांकित, समय–समय पर यथा संशोधित।

(द) **''उपयोग पुस्तिका (MoP)''** का अर्थ क्यूओएस नियमन में संदर्भित उपयोग पुस्तिका है;

(ध) **''नोडल अधिकारी''** का अर्थ उपभोक्ता शिकायत समाधान नियमन के तहत मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या उससे जुड़े लोकल केबल ऑपरेटर, जो भी स्थिति हो, द्वारा नियुक्त या नामित अधिकारी है;

(न) **''पे चैनल''** का अर्थ वही होगा जो टैरिफ आदेश में इसे दिया गया है;

(प) **''पेमेंट वॉलेट''** एलसीओ का एक डिजिटल वॉलेट है जो इस करार के नियमों के अनुसार उसे एमएसओ के साथ कायम रखना होगा।

(फ) **''पायरेसी''** का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी माध्यम और साधन से केबल टीवी सिग्नल अनाधिकृत रूप से प्राप्त करना, दोबारा पारेषण करना या पुनः वितरण करना है। इसके अंदर शामिल हैं कोई फेरबदल, सील या किसी कम्पोनेंट या एक्सेसरी से छेड़छाड़ या हार्डवेयर का दुरुपयोग, बदलना, हटाना और/या शिफ्ट करना, सेट टॉप बॉक्स लगने से पहले या उसके बाद, सिग्नल डिकोड करने, प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने का कोई उपकरण (उपकरणों), नकली या किसी अनाधिकृत डिवाइस का प्रयोग करना या ऐसा कोई कार्य जिससे एमएसओ या एलसीओ, जो भी स्थिति हो, के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अधिकारों का हनन और उल्लंघन होता है। हालाँकि, पायरेसी के मामलों की यह कोई सीमा नहीं है;

(ब) **''प्रोग्राम''** का अर्थ टेलीविज़न का कोई प्रसारण है और इसमें शामिल हैं;

(i) फिल्म, फीचर, ड्रामा, विज्ञापन और धारावाहिक दिखाना;

(ii) कोई ऑडियो या विजुअल या ऑडियो–विजुअल सीधा प्रसारण या प्रस्तुति और––––

अभिव्यक्ति ''प्रोग्रामिंग सेवा'' का तदनुसार अर्थ माना जाएगा;

(भ) **''क्यूओएस रेगुलेशन''** का अर्थ गुणवत्तापूर्ण सेवा मानक (डिजिटल ऐड्रेसबल केबल टीवी सिस्टम्स) विनियम, 2012 (12/2012), दिनांकित 14 मई, 2012, समय–समय पर यथा संशोधित।

(म) **''सेट टॉप बॉक्स या एसटीबी''** का अर्थ टेलीविज़न से जुड़ा या उसका हिस्सा बन गया एक उपकरण है और जो उपभोक्ता के सबस्क्राइब किए चैनल ऐड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से अनएन्क्रिप्टेड और डीस्क्रैम्बल्ड फॉर्म में चैनल प्राप्त करने की सुविधा देता है;

(य) **''स्मार्ट कार्ड''** का अर्थ मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर द्वारा विधिवत् स्वीकृत हार्डवेयर का एक हिस्सा है जो उपभोक्ताओं को चैनलों के केबल टीवी सिग्नल हासिल करने की सुविधा देता है।

(र) **''सबस्क्राइबर''** का अर्थ मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर को बताए स्थान पर मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर, जो भी स्थिति हो, प्रसारण सेवाएँ या केबल सेवाएँ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो पुनः किसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रसारण नहीं करेगा और इसमें सामान्य और व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं बशर्ते किसी को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया हो;

''संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी परिसर में स्थापित प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स का अर्थ एक उपभोक्ता माना जाएगा।''

(र(i)) **''सबस्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम या एसएमएस''** का अर्थ है सबस्क्राइबर के रिकॉर्ड और विवरण जैसे कि नाम, पता और सबस्क्राइबर के उपयोग में मौजूद हार्डवेयर संबंधी अन्य जानकारी जैसा कि सिस्टम में परिभाषित हो, सबस्क्राइबर के सबस्क्राइब किए चैनल या चैनलों के बुके के बारे में जानकारी, किसी चैनल या चैनलों के बुके एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की तिथियाँ और समय सुरक्षित रखने का सिस्टम या डिवाइस है जिसमें

सबस्क्राइबर के रिकॉर्ड के लिए सभी गतिविधियाँ और प्रत्येक बिल चक्र में भुगतान की गई राशि या सबस्क्राइर को दी गई छूट की जानकारी सुरक्षित रहती है;

(र(ii)) **''टैरिफ आदेश''** का अर्थ है दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (चौथा) टैरिफ आदेश, 2010 (1/2010), 21 जुलाई, 2010 दिनांकित, समय–समय पर यथा संशोधित;

(र(iii)) **''ट्रंक लाइन''** का अर्थ को–एक्सियल/ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क और अन्य संबद्ध उपकरण, जैसे, रिसीवर नोड, एम्प्लिफायर, स्प्लिटर आदि जो मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या संबद्ध कम्पनियों की संपत्ति होती है और उनके द्वारा विभिन्न एलसीओ के लिए एलसीओ समेत विभिन्न एलसीओ की प्राप्ति बिन्दु तक केबल टीवी सिग्नल के पारेषण के उद्देश्य से स्थापित की जाती है ताकि वे केबल टीवी सिग्नल संबंधित उपभोक्ताओं के लिए पुनः प्रसारित कर सकें;

अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जोकि इस इंटरकनेक्शन करार में प्रयोग किए गए पर परिभाषित नहीं है और कथित अधिनियम और उसके तहत बने नियमों एवं विनियमों में परिभाषित हैं या सीटीएन अधिनियम और उसके तहत बने नियमों एवं विनियमों में परिभाषित हैं उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन अधिनियमों या उनके नियमों एवं विनियमों में होंगे, जैसी भी स्थिति हो।

ख. व्याख्या

इस करार के तहत, यदि संदर्भ में अन्यथा अर्थ नहीं हो तोः

(क) करार में एकवचन के किसी संदर्भ में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विपरीत भी तदनुसार समझा जाएगा और किसी शब्द से केवल एक लिंग की अभिव्यक्ति हो तो इसमें सभी लिंग शामिल होंगे बशर्ते संदर्भ में अन्यथा अर्थ नहीं हो;

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द में शामिल हैं, व्यक्ति विशेष, निगम, साझेदार, व्यक्ति समूह और अन्य कोई संगठन;

(ग) आर्टिकल, क्लॉज़, सब–क्लॉज़, परिशिष्ट, एनेक्सर और शेड्यूल का कोई संदर्भ इस करार के आर्टिकल, क्लॉज़, सब–क्लॉज़, परिशिष्ट, एनेक्सर और शेड्यूल का संदर्भ होगा बशर्ते स्पष्टतः अन्यथा उल्लेख नहीं हो;

(घ) एक ''महीने'' का संदर्भ एक कैलेंडर महीने से है;

(ङ) शीर्षक और टाइटल केवल संदर्भ आसान करने के लिए हैं और ये इस करार की व्याख्या को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे और इन्हें इस प्रकार बिल्कुल नहीं पढ़ें कि टाइटल से स्वतंत्र इस करार के विभिन्न क्लॉज़ की व्याख्या के अनुकूल न हो।

(च) कानून, नियमन, वैधानिक प्रावधान, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के किसी संदर्भ में शामिल हैं कानून या नियमन या प्रावधान, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि जैसा कि समय–समय पर परिवर्तित, निर्मित, संशोधित या पुनः लागू की गई हो।